



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15042026-271828
CG-DL-E-15042026-271828

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 256]
No. 256]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 10, 2026/चैत्र 20, 1948
NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 10, 2026/CHAITRA 20, 1948

भारतीय रिज़र्व बैंक

अधिसूचना

मुंबई, 12 मार्च, 2026

फा. सं. सीओ.डीओआर.आरएयूजी.सं.एस.9213/07-12-000/2025-2026.— भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप-धारा (6) के खण्ड (क) के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक इसके एतद्वारा उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में "मिजोरम को-ऑपरेटिव एपेक्स बैंक लि." को सम्मिलित किए जाने का निर्देश देता है।

आर लक्ष्मी कांत राव, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./25/2026-27]

RESERVE BANK OF INDIA**NOTIFICATION**

Mumbai, the 12th March, 2026

F. No. CO.DOR.RAUG.No.S 9213/07-12-000/2025-2026.— In pursuance of clause (a) of sub-section (6) of Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Reserve Bank of India hereby directs the inclusion of "Mizoram Co-operative Apex Bank Ltd." in the Second Schedule to the said Act.

R. LAKSHMI KANTH RAO, Executive Director

[ADVT.-III/4/Exty./25/2026-27]